प्रेस नोट थाना- लाइन बाजार, जनपद जौनपुर

आज दिनांक 08.11.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर,श्री जितेन्द्र कुमार दूबे क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जौनपुर के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा के मार्गदर्शन में, मै उ0नि0 सत्येन्द्र भाई पटेल मय हमराह का0 सुधीर कुमार, का0 नितेश कुमार व का0 आनन्द कुमार के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ती /वाहन मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति थाना लाइनबाजार चौराहे के पास अवैध कट्टा लेकर खडा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराहियान को अवगत कराते हुए लाइनबाजार चौराहे पर पहुँचा तो मुखबीर खास कुछ दूर पहले ही इशारा कर भलायी बुराई का वास्ता बताकर हट बढ़ गया। हम पुलिस बल आगे बढ़ कर अभियुक्त के पास पहुचे तो हम पुलिस वालो को देखकर हड़बडाने लगा, इस पर मैं एवं हमराही कर्मचारीगण द्वारा एकबारगी दविश देकर घेरकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम शाहरुख अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी सैफपुर जपटापुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर बताया। विश्वास हो जाने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 उच्च न्यायालय व माननीय मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरश: पालन किया गया। अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त को मा0न्यायालय भेजा जा रहा है तथा अभियुक्त शाहरूख उपरोक्त थाना सरायख्वाजा का 91 – A हिस्ट्रीशीटर भी है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शाहरुख अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी जपटापुर थाना सरायख्वाजा जौनपुर।

बरामदगी

एक अदद कट्टा 12 बोर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 295/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना लाइनबाजार जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 67/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
3. मु0अ0सं0 168/20 धारा 41/411/413 आईपीसी थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
4. मु0अ0सं0 135/15 धारा 394/506/411 आईपीसी थाना दीदारगंज आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 152/15 धारा 392/411 आईपीसी थाना दीदारगंज आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 153/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 116/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 22/19 धारा 3(1) उ0प्र गुण्डा अधि0 थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
9. मु0अ0सं0 272/19 धारा 394/411 आईपीसी थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
10. मु0अ0सं0 287/19 धारा 411/41/467/468/471 आईपीसी थाना सरायख्वाजा जौनपुर।
11. मु0अ0सं0 289/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायख्वाजा जौनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-उ0नि0 सत्येन्द्र भाई पटेल, थाना- लाइनबाजार, जौनपुर।

2-का0 सुधीर कुमार, थाना लाइनबाजार जौनपुर।

3-का0 आनन्द कुमार, थाना लाइनबाजार, जौनपुर।

4-का0 नितेश कुमार , थाना लाइनबाजार जौनपुर।